फर्द अहकाम

कार्यालय जिला कलक्टर, राजसमंद जिला राजसमंद

श्री सुनील कुमार विजयवर्गीय, नि0 Q-3 गोविन्द नगर हाउसिंग बोर्ड धोईन्दा जिला राजसमन्द
पिनकोड–313342 — अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी नाथद्वारा — प्रत्यर्थी

किस्म मुकदमा – अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या** 55/2024

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाए जारी की गई

दिनांक 31.07.2024

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी नाथद्वारा से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी नाथद्वारा से वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया।

लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी नाथद्वारा से जरिये क्रमांक/निर्वा/सू0अ0/2024/58 दिनांक 31.07.2024 से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी श्री सुनील विजयवर्गीय द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत ऑनलाईन आवेदन दिनांक 12.06.2024 के क्रम में प्रार्थी द्वारा इस कार्यालय से चाही गयी सूचनाएं प्रार्थी को इस कार्यालय से दिनांक 01.07.2024 को इस कार्यालय के पत्रांक : सामान्य/निर्वा/सू0अ0/2024/51 द्वारा प्रार्थी को ई–मेल और ऑनलाईन आरटीआई पोर्टल के माध्यम से प्रार्थी को उपलब्ध करा दी गयी है

लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी नाथद्वारा की रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी नाथद्वारा की रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गयी सूचना प्रार्थी को इस कार्यालय से दिनांक 01.07.2024 को इस कार्यालय के पत्रांक : सामान्य/निर्वा/सू0अ0/2024/51 द्वारा प्रार्थी को ई–मेल और ऑनलाईन आरटीआई पोर्टल के माध्यम से प्रार्थी को उपलब्ध करा दी जाने से उक्त अपील को खारिज की जाती है।

निर्णय की प्रति अपीलार्थी, लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी नाथद्वारा को भिजवायी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर) राजसमंद

न्यायालय जिला कलक्टर
राजसमन्द (राज.)